

(ख) प्रशासक द्वारा बनाए नियमों के अनुसार द्वीप परिषद में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए ड्यूटी तथा उनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण अथवा पदभार ग्रहण ;

(ग) द्वीप परिषद के सभी कार्यों के निष्पादन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण ;

(घ) द्वीप परिषद के सभी कार्यों और विकासात्मक स्कीमों की तीव्र गति से निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय ;

(ङ) द्वीप परिषद और इनकी समितियों की बैठकों की कार्यवाही से संबंधित सभी कागजों और कागजातों को अपनी अभिरक्षा में रखना ;

(च) द्वीप परिषद निधि से धनराशि का आहरण और संवितरण करना, तथा;

(छ) विहित अनुसार ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा अन्य कार्यों का निर्वहन करना ।

(2) कार्यपालक अधिकारी द्वीप परिषद की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहेगा और उसे इसके समिति के बैठक में उपस्थित रहने का तथा इसमें भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे संकल्प लाने अथवा वोट देने का अधिकार नहीं होगा । यदि कार्यपालक अधिकारी की राय में इस विनियम, या अन्य कोई विधि, नियम या इसके अंतर्गत बनाए आदेश के उपबन्धों के अनुसार द्वीप परिषद के समक्ष प्रस्ताव देना उल्लंघन अथवा असंगत है तो उसका यह कर्तव्य होगा कि इसकी सूचना द्वीप परिषद के समक्ष लाएँ ।

68. (1) द्वीप परिषद की बैठक का समय तथा स्थान और इस बैठक की प्रक्रिया द्वीप परिषद की निर्धारित अनुसार होगी ।

(2) द्वीप परिषद का कोई भी सदस्य, किसी बैठक में संकल्प ला सकेगा और विहित अनुसार द्वीप परिषद के प्रशासन से संबंधित मामलों पर चीफ कैप्टन अथवा वाइस चीफ कैप्टन से प्रश्न कर सकेगा ।

(3) द्वीप परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का दो—तिहाई संख्या द्वारा संकल्प लाए जाने को छोड़कर, द्वीप परिषद के कोई भी संकल्प का उसके पारित होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर द्वीप परिषद इसे संशोधन, परिवर्तन अथवा निरस्त नहीं कर सकेगा ।

69. (1) इस नियंत्रण और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा विहित किया गया है, द्वीप समितियाँ परिषद, इनके शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए समितियों की नियुक्ति कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया है ।

(2) एक समिति में पाँच से अधिक सदस्य नहीं होंगे और विहित अनुसार इन कारणों से इसका विघटित अथवा पुनर्गठित किया जा सकेगा ।

70. द्वीप परिषद के किसी कार्य अथवा कार्रवाई को किसी रिक्ति के होने अथवा इसके गठन में त्रुटि या कार्यवाही में कोई अस्पष्टता है होने के कारण मात्र से इसे रहने से कार्यवाही अवैध नहीं होगी ।

71. (1) द्वीप परिषद के पास ऐसे शक्ति और प्राधिकार होंगे जैसा कि प्रशासक, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके आदेश द्वारा ऐसा करना आवश्यक समझते हैं और इसे विनिर्दिष्ट करते हैं ताकि यह तीसरी अनुसूची में दी गई मामलों के संबंध में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने हेतु स्वायत्त शासन के संस्थान के रूप में कार्य कर सकें ।

(2) द्वीप परिषद अपने क्षेत्राधिकार के भीतर क्षेत्रों में अन्य कार्य अथवा उपाय करेगा, जिससे क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, सुविधा, सामाजिक अथवा आर्थिक खुशहाली मिले और यह इनके अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए सभी आवश्यक कार्य करेगा । विशेषतौर पर —